# *भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय*

## मांग संख्या 49

### भारी उद्योग विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2009-2010 | | | संशोधित 2009-2010 | | | बजट 2010-2011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| राजस्व | | 213.56 | 62.00 | 275.56 | 156.15 | 62.00 | 218.15 | 263.30 | 111.71 | 375.01 |
| *पूंजी* | | *136.44* | *400.00* | *536.44* | *54.85* | *400.00* | *454.85* | *106.70* | *400.00* | *506.70* |
| **जोड़** | | **350.00** | **462.00** | **812.00** | **211.00** | **462.00** | **673.00** | **370.00** | **511.71** | **881.71** |
| 1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं | 3451 | 1.90 | 16.70 | 18.60 | 1.90 | 17.32 | 19.22 | 1.90 | 14.58 | 16.48 |
| **उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 2. आटोमोटिव उद्योग का अनुसंधान और विकास | 2852 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 |
| 3. राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण एवं आर एंड डी अवसरंचना परियोजना | 2852 | 180.00 | ... | 180.00 | 145.59 | ... | 145.59 | 232.14 | ... | 232.14 |
| 4. हिन्दुस्तान साल्ट लि. को अनुदान | 2852 | ... | ... | ... | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 2.00 | 2.00 |
| 5. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि. | 2852 | ... | ... | ... | ... | 0.09 | 0.09 | ... | ... | ... |
| 6. भारत यंत्र निगम लि. | 2852 | ... | ... | ... | ... | 2.52 | 2.52 | ... | ... | ... |
| 7. भारत वैगन एंड इंजीनियरिग कंपनी लिमिटेड | 2852 | ... | ... | ... | ... | 2.30 | 2.30 | ... | ... | ... |
| 8. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का आधुनिकीकरण | 2852 | 24.00 | ... | 24.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 24.00 | ... | 24.00 |
| 9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बैंक वित्त पर ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता | 2852 | ... | 20.29 | 20.29 | ... | 14.75 | 14.75 | ... | 15.00 | 15.00 |
| 10. अन्य व्यय | 2852 | 7.66 | 0.01 | 7.67 | 7.66 | 0.01 | 7.67 | 5.26 | 0.01 | 5.27 |
| **जोड़-उद्योग** | | **211.66** | **45.30** | **256.96** | **154.25** | **44.68** | **198.93** | **261.40** | **42.01** | **303.41** |
| 11. तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लि. को अनुदान | 2802 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55.12 | 55.12 |
| 12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान | 4552 | 35.00 | ... | 35.00 | 21.10 | ... | 21.10 | 37.00 | ... | 37.00 |
| 13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान | 4858 | 15.00 | ... | 15.00 | 5.00 | ... | 5.00 | 25.00 | ... | 25.00 |
| 14. ऋण का 3.5% वरीयता शेयर पूंजी में परिवर्तन | | | | | | | | | | |
| 14.01 इन्स्ट्रूमेंटल लि.,कोटा | 4858 | ... | ... | ... | 0.01 | ... | 0.01 | ... | ... | ... |
| 15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना भिन्न | | | | | | | | | | |
| *इंजीनियरिंग उद्योग* | | | | | | | | | | |
| 15.01 भारत यंत्र निगम लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 1.33 | 1.33 | ... | ... | ... |
| 15.02 भारत भारी उद्योग निगम लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 13.15 | 13.15 | ... | ... | ... |
| 15.03 एच.एम.टी. लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 144.48 | 144.48 | ... | ... | ... |
| 15.04 स्वैच्छिक पृथक्करण योजना और सांविधिक बकायों के लिए एकमुश्त राशि | 6858 | ... | 250.00 | 250.00 | ... | 109.53 | 109.53 | ... | 250.00 | 250.00 |
| 15.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 20.66 | 20.66 | ... | ... | ... |
| 15.06 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि. कोट | 6858 | ... | ... | ... | ... | 38.36 | 38.36 | ... | ... | ... |
| 15.07 स्कूटर इंडिया लि. | 6858 | ... | ... | ... | ... | 14.21 | 14.21 | ... | ... | ... |
| *उपभोक्ता उद्योग* | | | | | | | | | | |
| 15.08 नेपा लि. | 6860 | ... | ... | ... | ... | 5.03 | 5.03 | ... | ... | ... |
| 15.09 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की योजना के लिए एकमुश्त राशि | 6854 | ... | 150.00 | 150.00 | ... | 49.20 | 49.20 | ... | 150.00 | 150.00 |
| 15.10 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण. लि. | 6860 | ... | ... | ... | ... | 4.05 | 4.05 | ... | ... | ... |
| **जोड़ - सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना भिन्न ऋण** | | **...** | **400.00** | **400.00** | **...** | **400.00** | **400.00** | **...** | **400.00** | **400.00** |

*(करोड़ रुपए)*

| | मुख्य शीर्ष | बजट 2009-2010 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | संशोधित 2009-2010 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | बजट 2010-2011 आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश | 4854 | 5.01 | ... | 5.01 | 1.01 | ... | 1.01 | 5.01 | ... | 5.01 |
| | 4858 | 34.24 | ... | 34.24 | 9.88 | ... | 9.88 | 13.89 | ... | 13.89 |
| | 4860 | 6.53 | ... | 6.53 | 4.03 | ... | 4.03 | 6.03 | ... | 6.03 |
| | 6858 | 34.16 | ... | 34.16 | 9.82 | ... | 9.82 | 13.77 | ... | 13.77 |
| | 6860 | 6.50 | ... | 6.50 | 4.00 | ... | 4.00 | 6.00 | ... | 6.00 |
| | *जोड़* | *86.44* | *...* | *86.44* | *28.74* | *...* | *28.74* | *44.70* | *...* | *44.70* |
| ***कुल जोड़*** | | ***350.00*** | ***462.00*** | ***812.00*** | ***211.00*** | ***462.00*** | ***673.00*** | ***370.00*** | ***511.71*** | ***881.71*** |
| **ख. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश** | विकास शीर्ष | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ | बजट समर्थन | आं.ब. बा.सं. | जोड़ |
| **इंजीनियरिंग उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 16.01 भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. | 12858 | ... | 2483.00 | 2483.00 | ... | 1802.00 | 1802.00 | ... | 1924.00 | 1924.00 |
| 16.02 एच.एम.टी.लि. | 12858 | 36.84 | ... | 36.84 | 15.01 | ... | 15.01 | 20.04 | 10.00 | 30.04 |
| 16.03 हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि. | 12858 | 0.01 | 59.57 | 59.58 | 0.01 | 58.00 | 58.01 | ... | 58.41 | 58.41 |
| 16.04 स्कूटर्स इंडिया लि. | 12858 | 6.00 | ... | 6.00 | ... | ... | ... | 4.01 | ... | 4.01 |
| 16.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि. | 12858 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 16.06 इंस्ट्रूमेंटेशन लि. | 12858 | 4.63 | ... | 4.63 | 4.63 | ... | 4.63 | 0.02 | ... | 0.02 |
| 16.07 एन्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लि. | 12858 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | 121.56 | 121.57 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 16.09 भारत यंत्र निगम लि. | 12858 | 0.03 | 141.00 | 141.03 | 0.03 | 58.81 | 58.84 | 0.04 | 40.00 | 40.04 |
| 16.10 भारत भारी उद्योग निगम लि. | 12858 | 20.87 | ... | 20.87 | ... | ... | ... | 3.53 | ... | 3.53 |
| 16.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि. | 12858 | ... | 10.00 | 10.00 | ... | 6.00 | 6.00 | ... | 10.00 | 10.00 |
| 16.12 इंस्ट्रूमेंटेशन लि.,कोटा/ राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रूमेंट लि. | 12858 | ... | 3.00 | 3.00 | ... | 0.30 | 0.30 | ... | 11.47 | 11.47 |
| 16.13 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. | 12858 | 0.01 | 2.20 | 2.21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.14 नैशनल ऑटोमेटिव टैस्टिंग आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट | 12858 | ... | 11.00 | 11.00 | ... | ... | ... | ... | 13.00 | 13.00 |
| 16.15 कोल गैसीफिकेशन प्रोजेक्टस | 12858 | ... | 100.00 | 100.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16.16 फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट | 12858 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 0.75 | 0.75 | ... | 1.25 | 1.25 |
| **जोड़-इंजीनियरिंग उद्योग** | | **68.41** | **2810.52** | **2878.93** | **19.70** | **2047.42** | **2067.12** | **27.66** | **2068.13** | **2095.79** |
| **उपभोक्ता उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 16.17 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. | 12860 | 5.01 | 100.00 | 105.01 | 0.01 | 284.24 | 284.25 | 0.02 | 364.31 | 364.33 |
| 16.18 हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट्स लि. | 12860 | ... | 57.07 | 57.07 | ... | 15.04 | 15.04 | ... | 12.34 | 12.34 |
| 16.19 नेपा लि. | 12860 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 | 0.01 | ... | 0.01 |
| 16.20 हिन्दुस्तान साल्ट्स लि. | 12860 | 6.00 | ... | 6.00 | 6.00 | ... | 6.00 | 10.00 | ... | 10.00 |
| 16.21 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि. | 12860 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 | 2.00 | ... | 2.00 |
| 16.22 टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. | 12860 | ... | ... | ... | 0.01 | 25.21 | 25.22 | ... | 2.20 | 2.20 |
| **जोड़ - उपभोक्ता उद्योग** | | **13.02** | **157.07** | **170.09** | **8.03** | **324.49** | **332.52** | **12.03** | **378.85** | **390.88** |
| **सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग** | | | | | | | | | | |
| 16.23 सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. | 12854 | 0.01 | 138.02 | 138.03 | 0.01 | 76.03 | 76.04 | 0.01 | 138.02 | 138.03 |
| 16.24 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में वर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन | 12854 | 5.00 | ... | 5.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 5.00 | ... | 5.00 |
| **जोड़** | | **86.44** | **3105.61** | **3192.05** | **28.74** | **2447.94** | **2476.68** | **44.70** | **2585.00** | **2629.70** |
| **ग. आयोजना परिव्यय** | | | | | | | | | | |
| 1. इंजीनियरिंग उद्योग | 12858 | 296.96 | 2810.52 | 3107.48 | 180.86 | 2047.42 | 2228.28 | 315.96 | 2068.13 | 2384.09 |
| 2. उपभोक्ता उद्योग | 12860 | 13.03 | 157.07 | 170.10 | 8.03 | 324.49 | 332.52 | 12.03 | 378.85 | 390.88 |
| 3. सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग | 12854 | 5.01 | 138.02 | 143.03 | 1.01 | 76.03 | 77.04 | 5.01 | 138.02 | 143.03 |
| 4. पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | 35.00 | ... | 35.00 | 21.10 | ... | 21.10 | 37.00 | ... | 37.00 |
| **जोड़** | | **350.00** | **3105.61** | **3455.61** | **211.00** | **2447.94** | **2658.94** | **370.00** | **2585.00** | **2955.00** |

**1. सचिवालयः** इसमें भारी उद्योग विभाग के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था है।

**2. ऑटोमोटिव उद्योगों का अनुसंधान व विकासः** अनुसंधान संस्थानों अर्थात ए0आर0ए0आई0, पुणे, वी0आर0डी0ई0, अहमदनगर और सीआईआरटी, पुणे तथा देश के अन्य अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में लगातार बदलते सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों के अनुसार वाहनों का परीक्षण करने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाईल और संबद्ध उद्योग को अनुदान उपलबध कराने की व्यवस्था की गई हैं।

**3. नेशनल ऑटोमोटिव परीक्षण तथा अनुसंधान और विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) :** भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई नैट्रिप परियोजना सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है जिसका उद्देश्य ऑटो क्षेत्र के लिए अनिवार्य ऑटोमोटिव परीक्षण, वैधीकरण और अनुसंधान तथा विकास संबंधित बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना है। यह वाहनों के लिए आज के विनिर्माताओं की मांग की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वाहनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वाहन सुरक्षा, उत्सर्जन और निष्पादन मानदंडों का पालन किया जा रहा है।

नैट्रिप का उद्देश्य नेशनल ऑटोमोटिव सेफ्टी तथा उत्सर्जन रोडमैप की बढ़ती मांग के अनुसार विश्व स्तरीय ऑटोमोटिव परीक्षण, वैधीकरण, अनुसंधान तथा विकास और होमोलोगेशन सुविधाओं का सृजन करना है। इन्हें उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख केन्द्रों में सृजित किया जाना हैं। भारत सरकार के पास इस परियोजना का अधिकांश शेयर है तथा सभी परियोजना आयातों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट भी दी गई है। राज्य सरकार ने रियायत दरों पर भूमि दी है। इससे विश्व ऑटोमोटिव क्षितिज के साथ भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग के पूर्ण एकीकरण को आसान बनाने के लिए कोर वैश्विक क्षमता का सृजन करने का परियोजना का उद्देश्य पूरा होगा।

आईसीएटी, मानेसर, नैट्रैक्स, इन्दौर तथा जी-एआरसी, चेन्नई की सुविधाएं तीव्र गति से बढ़ रही हैं। वीआरडीई, अहमदनगर स्थित ईएमसी लैब पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है तथा पश्चिमी भारत में एआरएआई में बड़े पैमाने पर विस्तार तथा उन्नयन कार्य किया जा रहा है और कई नए उपकरणों की स्थापना की गई है तथा वे कार्य कर रहे है। धौलचूरा कैम्पस में पहाड़ी सड़क ट्रैक तथा ड्राईविंग सिमुलेटर के साथ सिल्वर प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत अच्छी है तथा पहाड़ी ड्राइविंग ट्रेनिंग कार्यकलाप चालू है। सिल्वर में जाफिरबंद स्थित दूसरे कैम्पस का कार्य पूरा होने वाला है तथा आशा है कि सिल्वर प्रोजेक्ट 2010 के आरंभ में चालू हो जाएगा। रायबरेली प्रोजेक्ट के संबंध में भूमि अधिग्रहण अग्रिम स्तर पर है तथा आशा है कि इस केन्द्र पर भी शीघ्र कार्यान्वयन आरंभ हो जाएगा। आईसीएटी, मानेसर जो आंशिक रूप से चालू हो गया है तथा कई ओईएम के लिए वैधीकरण परीक्षण किया जा चुका है। यह उत्तर में कम्पोनेंट आधारित उद्योग सहित कई विनिर्माता उद्योगों के लिए एक प्राथमिक केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है। आईसीएटी, मनेसर द्वारा ऑटो उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास परियोजनाए पूरी की गई हैं और इस क्षेत्र में इसके प्रयासों ने पहचान बना ली है।

**8.** सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए पूंजीगत माल के आधुनिकीकरण हेतु एकमुश्त प्रावधान किया गया है।

**9. वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी :** वीआरएस के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए बैंक ऋण की व्यवस्था करने के लिए स्कीम के तहत भुगतेय ब्याज के लिए प्रावधान।

**10. अन्य व्ययः** फ्ल्यूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एससीआरआई) और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है। प्रवाह मापन और नियंत्रण उपायों से संबंधित कार्य करने और भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रौद्योगिकी विकास और प्रवाह उत्पादों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1987 में एक यूनएनडीपी परियोजना के रूप में एफसीआरआई की स्थापना की गई। इसमें संवर्धनात्मक कार्यकलापों और भुगतान आयुक्त, कोलकाता के लिए औद्योगिक संघों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अनुदान शामिल है।

**12. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान :** पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की सुविधाओं की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान किया गया है।

**13. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एक मुश्त प्रावधानः** भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की पुनर्संरचना के लिए एक मुश्त प्रावधान किया गया है। इसमें पुनरुद्धार पैकेजों के लिए योजना सहायता शामिल है।

**15. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को गैर-योजनागत ऋण :** सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों को उनके संसाधनों में अंतर को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए गैर-योजनागत ऋणों की व्यवस्था है। इसमें वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन और कर्मचारियों की सांविधिक देयताओं में कमी के व्यय का वहन करने के लिए 250.00 करोड रूपये का एकमुश्त प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के हानि उठा रहे उपक्रमों की पुनर्संरचना/पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिए 150.00 करोड़ रूपये का एक अन्य मुश्त व्यवस्था है। विभाग के अंतर्गत अन्य सरकारी क्षेत्रके उद्यमों के लिए भी प्रावधान है जो निधि की जरूरत व सरकारी अनुमोदन पर आधारित है।

**15.01 भारत यंत्र निगम लि0 (बीवाईएनएल):** इसे 1986 में नियंत्रक कंपनी के रूप में निगमित किया गया था इसकी छःसहायक कंपनियों अर्थात भारत हेवी प्लेट्स एवं वैसल्स, भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर लि0, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि0, तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि0, रिचर्डसन एंड क्रूडास लि0 (1972) और ब्रिज एंड रूफ कंपनी लि0 हैं।

**(i) भारत पम्पस एंड कम्प्रेशर्स लि. (बीपीसीएल) -**नैनी, इलाहाबादः- कंपनी की स्थापना 1.1.1970 को की गई थी। बीपीसीएल मुख्यतः सेन्ट्रीफूगल और रिसीप्रोकेटिंग पंप, कार्बानेट और अमोनिया पम्प रिसीप्रोकेटिंग कम्प्रेशर और गैस/सीएनजी सिलेण्डर के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी में एक पुनर्गठन और पुनः संरचना योजना का दिसम्बर, 2005 में अनुमोदन किया गया था। कंपनी के निदेशक मंडल का बीएचईएल, ओएनजीसी और और ईआईएल के सहयोग से पुनर्गठन किया गया।

**(ii) ब्रिज एंड रूफ क.(इंडिया)लि., कोलकाताः-** कंपनी की स्थापना 16.1.1920 को हुई थी। कंपनी मुख्यतः सिविल एंव मैकेनिकल विनिर्माण, पाइपिंग, स्ट्रक्चरल और वैगन, बेली ब्रिज, मैरीन फ्रेड कंटेनर आदि के विनिर्माण में संलग्न है।

**(iii) रिचर्डसन एंड क्रुडास (1972) लि. (आरएंडसी), मुम्बई-** कंपनी का राष्ट्रीयकरण 1972 में किया गया था। यह कंपनी मुख्यतः स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन टाबर, टयूबवैल और हैंडपम्प आदि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। कंपनी की मुम्बई में मलन्द और भायकुला, नागपुर और चेन्नई में चार इकाईयां हैं। कंपनी सरकारी क्षेत्र का एक रूग्ण उद्यम है जो वर्तमान में बीआईएफआर को संदर्भित है।

**(iv) त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि. (टीएसएल),** नैनी, इलाहाबाद-कंपनी की स्थापना 1965 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से बिल्डिंग स्ट्रक्चर, टावर, प्रैशर वेसल, पाइप और पेन स्टॉक आदि से संबंधित कार्यों में संलग्न है। कंपनी सरकार क्षेत्र का एक रूग्ण उद्यम है और बीआईएफआर के साथ ही एएआईएफआर ने भी इसे बंद करने की सिफारिश की है। कंपनी के पुनरूद्धार के लिए दूसरे सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम गठन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

**(v) तुगभद्रा स्टील प्रोडेक्ट्स लि. हॉस्पेट (कर्नाटक):-** कंपनी की स्थापना 1960 में की गई। कंपनी मुख्यतः हाइड्रोलिक संरचना, पेनस्टॉक, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन लाइन टावर आदि के विनिर्माण में संलग्न है। कंपनी बीआईएफआर को संदर्भित की गई सरकारी क्षेत्र की रूग्ण कंपनी है। कंपनी के पुनरूद्धार के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यम के साथ संयुक्त उद्यम गठन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

**15.02 भारत भारी उद्योग निगम लि0 (बीबीयूएनएल):** एक धारक कंपनी के रूप में इसकी संस्थापना 1986 में की गई जिसमें सात सहायक कंपनियां अर्थात बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि0 (बीएससीएल), जेसप एण्ड कंपनी लि0 (जेसीएल), ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि0 (बीसीएल), भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि0 (बी.डब्ल्यू.ई.एल.), ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि (बीबीजे), भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि0 (बीपीएमईएल) और लगन जूट मशीनरी कंपनी लि0 (एलजेएमसी) शामिल हैं। इनमें से दो सहायक कंपनियों नामतः जेसीएल और एलजेएमसी के संबंध में अधिकांश शेयरधारिता रणनीतिक भागीदारों को स्थांतरित कर दिया गया है। बीपीएमईएल और इसकी सहायक कंपनी वेवर्ड इंडिया लि0 (डब्ल्यूआईएल) को बंद कर दिया गया है और कंपनी की परिसम्पतियों को परिसमापक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। बीएससीएल की हानि उठा रही सात रिफेक्टरी इकाइयों और दो सहायक कंपनियों अर्थात भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लि. (बीबीवीएल) और रेरॉल बर्न लि.(आरबीएल) को बंद कर दिया गया है। बीबीयूएनएल की तीन प्रचालनशील सहायिकाओं में से दो कंपनियां नामतः बीएससीएल और बीसीएल रूग्ण थी तथा बीआईएफआर के संदर्भाधीन थी। बीसीएल अब बीआईएफआर के अधीन नहीं है जबकि बीएससीएल अभी भी बीआईएफआर के अधीन है जिसके लिए बीआरपीएसई द्वारा पुनर्गठन प्रस्ताव की सिफारिश की गई है। मै0 बीबीजे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होने के कारण रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम (सिका) के क्षेत्राधिकार में नहीं था। हालांकि, सरकार की नीति में परिवर्तन तथा लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) का गठन होने से इन चार कंपनियों को वित्तीय पुनर्संरचना के जरिए पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा बीसीएल और बीबीजे का पुनर्गठन किया गया है। बीडब्ल्यूईएल को दिनांक 13.08.2008 को रेल मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

**15.05 हिन्दुस्तान केबल्स लि0 (एचसीएल):** भारत सरकार का उपक्रम, एचसीएल का निगमन 1952 में किया गया था यह कंपनी दूर-संचार केबल्स के विनिर्माण का कार्य कर रही है। इसकी तीन यूनिटें हैं जो रूपनारायणपुर(प. बंगाल), हैदराबाद(आंध्र प्रदेश) और इलाहाबाद(उत्तर प्रदेश) में कार्यरत है और पृथक टर्नकी प्रोजेक्ट प्रभाग है। कंपनी बीआईएफआर द्वारा रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत पंजीकृत है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रचालन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। एचसीएल द्वारा कंपनी की पुनर्संरचना के लिए अध्ययन करने हेतु आईआईटी, खडगपुर और मै0 टाटा कन्सल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को नियुक्त किया गया है। एचसीएल के भविष्य के संबंध में बीआरपीएसई को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कंपनी के पुनर्गठन हेतु अध्ययन करने के लिए एचसीएल , खडगपुर बीआरपीएसई ने सिफारिश की है कि एचसीएल के विस्तत हालिस्टिक अध्ययन इकाई-वार, सम्पूर्ण कंपनी के लिए आई.आई.टी खडगपुर के माध्यम से शुरू किया जाए, का प्रस्ताव 17.8.2007 को बीआरपीएसई को भेजा गया था। इस रिपोर्ट पर बीआरपीएसई ने अपनी 9.1.2008 की बैठक में विचार किया और एचसीएल के पुनरुद्धार हेतु सरकारी या निजी सेक्टर के उद्यमों में से किसी के साथ संयुक्त उद्यम गठन करने की सिफारिश की जिसमें असफल होने पर तुलन-पत्र को स्वच्छ करने के बाद सम्पूर्ण विनिवेश का अनुमोदन किया। इनमें से एमएमटीसी लि. और आरआईएनएल से प्राप्त दो संभावित प्रस्तावों का पारस्परिक रुप से सहमत शर्तों और निबंधनों पर प्रस्ताव तैयार करने हेतु परीक्षण किया जा रहा है।

**15.10 हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लि0 (एचपीएफ):** वर्ष 1960 में निगमित यह कंपनी संवदेनशील फोटो फिल्म, सिने पाजिटिव (श्वेत व श्याम) सिने फिल्म, ध्वनि निगेटिव, चिकित्सा संबंधी एक्सरे फिल्मों आदि का निर्माण कर रही है। यह वर्ष 1992-93 से प्रति वर्ष लगातार हानि उठा रही है। इसका निवल मूल्य ऋणात्मक होने के बाद इसे वर्ष 1995 में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित कर दिया गया। उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति (राज्य सभा) की सिफारिशों के आधार पर कंपनी के पुनरुद्धार के संबंध में अध्ययन करने के लिए मै0 अर्नेस्ट एंड यंग को नियुक्त किया गया। परामर्शदाता ने अंतिम रिपोर्ट मई, 2007 में प्रस्तुत कर दी। बीआरपीएसई के विचारार्थ एच नोट दि. 22.04.2008 को भेजा गया था। तत्पश्चात, बीआरपीएसई ने दि. 01.08.2008 को कंपनी की व्यवसाय योजना दो माह में प्रस्तुत करने की सलाह दी। तदनुसार, एचपीएफ से व्यवसाय योजना प्रस्तुत कर दी जिसे बीआरपीएसई को भेजा गया है। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर तथा सीसीईए के अनुमोदन से हस्तगत लंबित क्रयादेशों को क्रियांन्वित करने तथा निर्बाध रूप से प्रचालन चलाने के लिए गैर-योजना ऋण के रूप में 30 करोड़ रुपए जारी किया गया है।

**16. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इसमें ऋण और इक्विटी के लिए ज्यादातर 50:50 के अनुपात में बजटीय सहायता की व्यवस्था है जिससे विकास, विविधीकरण, गैर-संकीर्णता, आधुनिकीकरण, नवीकरण और प्रतिस्थापन आदि स्कीमों को शुरू किया जा सके ताकि उनके कार्य निष्पादन और व्यवहार्यता में सुधार हो सके।

**16.01 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 (बीएचईएल):** यह 1960 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी बिजली बोर्डों और अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि इस्पात, उर्वरक, धातुकर्म और खनिज उद्योगों के लिए विद्युत उत्पादक उपस्कर पारेषण और ढुलाई उपस्करों के विनिर्माण, आपूर्ति, स्थापना और चालू करने का कार्य कर रही है। इसमें 14 विनिर्माण विभाग, 9 सेवा केन्द्र और 4 विद्युत क्षेत्र प्रादेशिक केन्द्र हैं। कम्पनी ने भारत और विदेशों में टर्नकी आधार पर विद्युत केन्द्र की आपूर्ति किये है। भेल के उत्पादों ने उच्च गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता के लिए एक सुनिश्चित ख्याति स्थापित किया है।

**16.02 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि0 (एचएमटी):** इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। यह कम्पनी निरंतर प्रमुख बड़ी बहु वाली एकक और बहु उत्पाद कम्पनी बन गये जिसमें 16 एकक और 22 उत्पाद प्रभाग हैं जो देश के 10 विभिन्न राज्यों में फैले हुए है। यह कम्पनी अति सूक्ष्म (हाई प्रिसिशन) मशीन टूल्स, मुद्रण मशीनरी, लैंप व लैंप बनाने की मशीनरी, ट्रेक्टर, हाथ की घड़ियों, होरोलोजिकल मशीनों और डेयरी मशीनरी के उत्पादन का कार्य कर रही हे। एच एम टी की चार अजैव्य इकाइयों को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ, एक संगठनात्मक पुनर्संरचना के रूप में इसकी घड़ी, मशीन टूल्स, बेयरिंग और अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार समूहों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों नामतः एचएमटी वाचिज लि0, एचएमटी मशीन टूल्स लि0, एचएमटी बेयरिंग्स लि0 और एचएमटी चिनार वाचिज लि0 और एचएमटी (इन्टरनेशनल) लि0 में परिवर्तित कर दिया गया है। एचएमटी बेयरिंग्स लि0 के लिए पुनरुद्धार पैकेज अनुमोदित कर दिया गया है। **प्रागा टूल्स लि. (पीटीएल)** जो 1988 से एचएमटी लि. की सहायक कंपनी है,को इसके कार्यान्वयन पैकेज को अक्टूबर 2005 में अनुमोदित करते हुए सीसीईए के दिशा-निर्देशों के अनुसार एचएमटी एमटीएल के साथ विलय कर दिया गया है जो 1.4.2007 से प्रभावी है।

**16.04 स्कूटर्स इण्डिया लि0 (एसआईएल):** इसे 1972 में निगमित किया गया था। यह अभी तिपहिया वाहनों का निर्माण कर रही है। बीआईएफआर ने एक पुनरुद्धार/पुनर्संरचनात्मक योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी था। इसने लाभ कमाना आरम्भ कर दिया है और बीआईएफआर की सीमा क्षेत्र से बाहर आ गई है।

**16.11 इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि0 (ईपीआई):** यह 1970 में स्थापित की गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत और विदेश में टर्न-की आधार पर प्रौद्योगिकी और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित आपूर्ति और स्थापना सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी और उत्पादन संबंधी सुविधाओं तथा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना है। सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन कर दिया गया है।

**16.12 राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लि0 (आरईआईएल):** राजस्थान इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लि0, जयपुर को एग्रो डेयरी सेक्टर के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, टेलीकॉम सेक्टर के लिए संचार सब-सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा तथा विभिन्न प्रकार के पीसीबी का विनिर्माण करने के लिए तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिक विभाग (अब सूचना तथा प्रौद्योगिकी विभाग), नेशनल डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) तथा भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार के पहल से वर्ष 1981 में इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मैसर्स इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड तथा राजस्थान औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। भारत सरकार के पास आईएलके के जरिए 51 प्रतिशत शेयर तथा राजस्थान सरकार के पास आरआईआईसीओ के जरिए 49 प्रतिशत शेयर है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय तथा विनिर्माण यूनिट जयपुर में है।

कंपनी को वर्ष 1997 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। कई वर्षों के बाद इसने अपने प्रचालन का विस्तार तथा उन्नयन किया तथा इलेक्ट्रॉनिक, नवीकणीय ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इक्विटी उत्पादों का पूरा रेंज विकसित किया। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर के निर्माण में बाजार अग्रणी है।

**16.13 टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 (टीसीआईएल):** टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 को 24.2.1984 में भारत सरकार के एक पूर्ण स्वामिप्व वाले उद्यम के रूप निगमित किया गया था। यह टायरों के विनिर्माण तथा पुररूद्धार के लिये लंबित अन्य टायर कंपनियों के लिए कनवर्सन जॉब कर रही है। बीआरपीएसई ने इसके पुनरुद्धार के लिए वित्तीय पुनर्संरचना तथा एक नीतिगत भागीदार का पता लगाने की सिफारिश किया है।

**16.17 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 (एचपीसी):** इसकी स्थापना देश में लुगदी और कागज तथा अखबारी कागज के कारखानों की स्थापना करने के लिए 1970 में की गई थी। इसकी 2 इकाईयां और 3 सहायक कंपनियां है। पुनर्गठन के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

जगदीशपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज निर्माण हेतु एक नई परियोजना **यू.पी.पेपर मिल** शुरु करने का प्रस्ताव है। यह कंपनी हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की सहायक कंपनी होगी जिसने असम में प्रचालनरत इकाइयां होंगी।

**16.18 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल):** एचएनएल को मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 1970 में संवर्धित किया गया था। कंपनी का मुख्य उद्देश्य देश में नई पल्प/पेपर न्यूजप्रिंट मिलों की स्थापन करना था।

**16.20 हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटड (एचएसएल):** नमक विभाग, भारत सरकार द्वारा संचालित सांभर, डिडवाना और खाराघोडा के नमक स्त्रोतों को अधिग्रहण करने हेतु भारत सरकार द्वारा पूर्ण नियंत्रित हिन्दुस्तान साल्ट्स लि0 को एक कंपनी के रूप में दिनांक 12.04.1958 को निगमित किया गया । नमक उत्पादन से जुडा यही एक मात्र केन्द्राय सरकार का उपक्रम है । कंपनी ने अपना व्यवसाय जनवरी, 1959 से प्रारंभ कर दिया था । तत्पश्चात मंडी (हिमाचल प्रदेश) में सरकार स्वामित्व वाली नमक की खानों को भी 1.5.1963 को कंपनी ने अपने नियंत्रित मे ले लिया था । बाद में सांभर झील नामक स्त्रोत को नवनिर्मित सहायक कंपनी सांभर साल्ट्स लि0 को हस्तांतरित कर दिया गया और सांभर साल्ट्स को बी.टी. कृष्णामचारी पुरस्कार के तहत दिनांक 30.09.1964 को पंजीकृत किया गया।

**16.24 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन के लिए एकमुश्त प्रावधान:** सरकार के अनुमोदन के आधार पर मुख्य रूप से परिवर्द्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निधियों की आवश्यकता के अनुसार विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों के पक्ष में एकमुश्त प्रावधान का आगामी पुनर्विनियोजन किया जाना।